CARA ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) की धारा 68 (सी) के तहत अनिवार्य रूप से दत्तक-ग्रहण नियम, 2022 तैयार किया, जो 23 सितंबर, 2022 से लागू हो गया है।

हितधारक:

- विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAAs)
- राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARAs)
- जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPUs)
- जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर/ उप आयुक्त
- प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAAs)
- बाल कल्याण समिति (CWC)
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMOs)

Registration for Adoption on:
https://carings.wcd.gov.in/

Website:
https://cara.wcd.gov.in/

CARA Helpline No: 1800-11-1311 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri) except Gazetted Holidays
CARA Help Desk e-mail: carahdesk.wcd@nic.in

CARA के बारे में

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है और इसे देश और अंतर-देश में गोद लेने की निगरानी और विनियमन करने का दायित्व दिया गया है। CARA को 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन, 1993 के प्रावधानों के अनुसार अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण से निपटने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।

CARA मुख्य रूप से अपनी संबद्ध/मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को गोद लेने का कार्य करता है।

बच्चा गोद लेने के प्रकार

- **देश के भीतर अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे का दत्तक-ग्रहण**
- **अंतर-देशीय अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे का दत्तक-ग्रहण**
- **देश के भीतर रिश्तेदारी में दत्तक-ग्रहण**
- **अंतर-देशीय रिश्तेदारी में दत्तक-ग्रहण**
- **सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक-ग्रहण**
- **फॉस्टर दत्तक-ग्रहण हेतु नियम**

“ बच्चा गोद लेने के लिए कानूनी रास्ता चुनें, सही रास्ता चुनें ”

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Women & Child Development, Government of India

Central Adoption Resource Authority

CARA

A loving family for every child